

पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़
सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(Fax no. 0771-2331544. E-mail: spsibphq.cg@nic.in)

:: आदेश ::

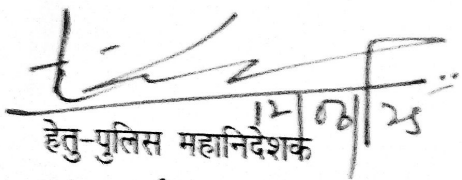
दिनांक 10.06.2025 को थाना कोन्टा, जिला सुक्मा में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 21/2025 धारा 103, 109, 191(2), 191(3), 190, 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 25, 27 आयुध अधिनियम, 03, 05 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 13, 16, 18, 20, 23 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के प्रकरण की गंभीरता एवं अन्तर्राज्यीय लिंकेज से संबंधित होने से छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक एफ 3-110/2023/गृह-2 दिनांक 14.02.2024 में दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त प्रकरण को अग्रिम विवेचना एवं कार्यवाही हेतु राज्य जॉच एजेंसी, पुलिस मुख्यालय रायपुर को सौंपा जाता है।

हस्ता/-
(अरूण देव गौतम)
पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़

पृ0 क्रमांक: पु.मु./विआशा/सेक्शन-04/एफ-183(16)/ 2015 /2025 दिनांक: 12/06/2025

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. माननीय विशेष न्यायालय, दंतेवाड़ा को कृपया सूचनार्थ।
02. अति. पुलिस महानिदेशक, विआशा/नक्सल अभियान, पु.मु., नवा रायपुर।
03. पुलिस महानिरीक्षक, विआशा/पर्यवेक्षण अधिकारी, पु.मु., नवा रायपुर।
04. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर।
05. पुलिस अधीक्षक, जिला सुक्मा।
06. पुलिस अधीक्षक, राज्य जॉच एजेंसी (SIA), पुलिस मुख्यालय, रायपुर।


हेतु-पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़